अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 20/2022

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र– 37/2022

राजस्थान सरकार जरिये, श्री खान मौहम्मद खॉ प्रवर्तन निरीक्षक, पीसांगन । .....प्रार्थी

बनाम

1. श्री तेजराज पुत्र मदन प्रजापत निवासी ग्राम कुडकी, तहसील जैतारण जिला पाली
2. राधे राधे केमिकल्स, ग्राम केसरपुरा, पुलिस थाना मांगलियावास।

उपस्थित :–

श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार
श्री अशोक सिंह रावत, जगमोहन सेन अभिभाषक अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अ. धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम

आदेश

दिनांक– 12.10.2022

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 23.06.2022 को पुलिस थाना पीसागंन द्वारा गश्त के दौरान एक वाहन में अवैध रूप से पैट्रोलियम पदार्थ परिवहन करते पाए जाने पर रोका गया है एवं अग्रिम जांच हेतु दूरभाष पर सूचित किये जाने पर श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, द्वितीय अजमेर के निर्देशन में गठित जांच दल द्वारा मौके पर पहुॅच कर कार्यवाही गई। मौके पर उपस्थित श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना पीसांगन द्वारा अवगत करवाया गया कि गश्त के दौरान वाहन संख्या RJ-21-GA-2344 महिन्द्रा पिक अप को रोके जाने पर वाहन में 8 लोहे के ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। वरवक्त जांच कार्यवाही मौके पर अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक ने बताया कि उनके द्वारा 8 ड्रमों में भरा 1640 लीटर मिनरल ऑयल अप्रार्थी संख्या 02 फर्म मै0 राधे राधे केमीकल्स, ग्राम केसरपुरा–सराधना, तहसील पीसांगन जिला अजमेर से बिल संख्या 192 मात्रा 820 लीटर, दर 59.59 रूपये प्रति लीटर राशि 41,410/– रूपये, एचएसएन नम्बर 27101990 द्वारा खरीद किया जाकर ग्राम कुडकी तहसील जेतारण, जिला पाली, स्वयं के वाहन द्वारा ले जाना तथा ईधन के रूप में उपयोग किया जाना बताया गया। श्री तेजराज द्वारा प्रस्तुत बिलो की जांच में बिल संख्या 192 एवं 193 की 2–2 प्रतियॉ पाई गई जिनमें से एक पर ऑरिजनल फॉर रिसिप्टयन एवं एक प्रति पर डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर अंकित होना पाया गया। बिल दिनांक 22.6.2022 पर फर्म मै0 राधे राधे केमिकल्स केसरपुरा द्वारा जारीशुद्वा होना एवं बिलों पर इण्डस्ट्रीज यूज ऑनली अंकित होना पाया गया। जबकि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा किसी औधोगिक फर्म का मालिक/संचालक नही होना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वर वक्त मौका निरीक्षण, दिये गये बयान व जारी बिल अनुसार प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि ड्रमों में भरा पदार्थ वाहनों में उपयोग हेतु वर्जित है। किन्तु अप्रार्थी तेजराज द्वारा उक्त पदार्थ को ईधन के रूप में ही उपयोग किया जाना अवगत करवाया गया है। जो कि ms and HSD order 2005 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। वक्त मौका वाहनों में रखे ड्रमों में भरे पैट्रोलियम पदार्थ की नजदीकी पेट्रोल पम्प जैन ब्रदर्श, एचपीसीएल, पीसांगन से कार्मिकों को बुलाकर माप कराये जाने पर 1640 लीटर

जिला कलक्टर
अजमेर

पैट्रोलियम पदार्थ का होना पाया गया। वक्त मौका ड्रमों में से निर्धारित प्रकिया अपनाकर पैट्रोलियम पदार्थ के तीन नमूना सैम्पल एल्यूमिनियम की साफ बोतलों में लेकर चिट चस्पा की गई एवं एचपीसीएल की यूनिट कोड की सील लगाई गई तथा सैम्पल को जांच हेतु एफएसएल लैब में भेजा गया है। मौके पर अप्रार्थी श्री तेजराज के वाहन महिन्द्रा पिकअप RJ-21-GA-2344 में पाये गये 8 ड्रमों में भरे पेट्रोलियम पदार्थ का पाया जाना यह दर्शाता है कि श्री तेजराज द्वारा औघोगिक उपयोग हेतु निर्धारित मिनरल ऑयल का उपयोग अनाधिकृत रूप से बिना सुरक्षा मानकों के वाहनों में उपयोग किया जा रहा है, जो सरकार को आर्थिक क्षति के साथ साथ मानवीय जीवन एवं पर्यावरण के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। नियम विरूद्व पेट्रोलियम/मिनरल ऑयल का भंडारण एवं वाहन ईधन के रूप में किया जाना पाये जाने के कारण मौके पर जांच दल द्वारा श्री तेजराज द्वारा अवैध रूप से वाहनों के ईधन के प्रयोजन से पाये गये 8 ड्रमों में भरे हुए 1640 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ एवं वाहन महिन्द्रा पिकअप संख्या RJ-21-GA-2344 को कब्जेराज लिया गया तथा पुलिस थाना पीसांगन को सुपुर्दगी पर दिये गए। अप्रार्थीगण द्वारा नियम विरूद्व पेट्रोलियम/मिनरल ऑयल का भंडारण एवं व्यवसाय किया जाना मौटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियम और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये वाहन महिन्द्रा पिकअप संख्या RJ-21-GA-2344 एव 8 ड्रम में भरे हुए 1640 लीटर मिनरल ऑयल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी0 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आयें। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जरिये अभिभाषक जप्त महिन्द्रा पिकअप संख्या RJ-21-GA-2344 को सुपुर्दगीनामा पर छुडाने हेतु सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो पृथक से दर्ज किया जाकर जिला रसद अधिकारी अजमेर से टिप्पणी तलब की गई। सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र को मूल 6 ए प्रकरण के साथ सुनवाई हेतु पेश होने के आदेश दिये गये। सुनवाई चाहने पर उभयपक्ष को मूल 6 ए प्रकरण, मय सुपुर्दगीनाम प्रार्थना पत्र के सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 23.06.2022 को पुलिस थाना पीसागंन द्वारा गश्त के दौरान एक वाहन में अवैध रूप से पैट्रोलियम पदार्थ परिवहन करते पाए जाने पर रोका गया है एवं अग्रिम जांच हेतु दूरभाष पर सूचित किये जाने पर श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, द्वितीय अजमेर के निर्देशन में गठित जांच दल द्वारा मौके पर पहुँच कर कार्यवाही गई। मौके पर उपस्थित श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना पीसांगन द्वारा अवगत करवाया गया कि गश्त के दौरान वाहन संख्या RJ-21-GA-2344 महिन्द्रा पिक अप को रोके जाने पर वाहन में 8 लोहे के ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। वरवक्त जांच कार्यवाही मौके पर अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक ने बताया कि उनके द्वारा 8 ड्रमों में भरा 1640 लीटर मिनरल ऑयल अप्रार्थी संख्या 02 फर्म मै0 राधे राधे केमीकल्स, ग्राम केसरपुरा–सराधना, तहसील पीसांगन जिला अजमेर से बिल संख्या 192 मात्रा 820 लीटर, दर 59.59 रूपये प्रति लीटर राशि 41,410/– रूपये, एचएसएन नम्बर 27101990 द्वारा खरीद किया जाकर ग्राम कुडकी तहसील जेतारण, जिला पाली, स्वयं के वाहन द्वारा ले जाना तथा ईधन के रूप में उपयोग किया जाना बताया गया। श्री तेजराज द्वारा प्रस्तुत बिलो की जांच में बिल संख्या 192 एवं 193 की 2–2 प्रतियाँ पाई गई जिनमें से एक पर ऑरिजनल फॉर रेसिपियेन्ट एवं एक प्रति पर डुप्लीकेट

जिला कलक्टर
अजमेर

फॉर ट्रासंपोर्टर अंकित होना पाया गया। बिल दिनांक 22.6.2022 पर फर्म मै0 राधे राधे केमिकल्स केसरपुरा द्वारा जारीशुद्वा होना एवं बिलों पर इण्डस्ट्रीज यूज ऑनली अंकित होना पाया गया। जबकि जांच में अप्रार्थी संख्या 01 का, किसी औधोगिक फर्म का मालिक/संचालक नही होना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वर वक्त मौका निरीक्षण, दिये गये बयान व जारी बिल अनुसार प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि ड्रमों में भरा पदार्थ वाहनों में उपयोग हेतु वर्जित है। किन्तु अप्रार्थी तेजराज द्वारा उक्त पदार्थ को ईधन के रूप में ही उपयोग किया जाना अवगत करवाया गया है। जो कि ms and HSD order 2005 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। वक्त मौका वाहनों में रखे ड्रमों में भरे पैट्रोलियम पदार्थ की नजदीकी पेट्रोल पम्प जैन ब्रदर्श, एचपीसीएल, पीसांगन से कार्मिकों को बुलाकर माप कराये जाने पर 1640 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ का होना पाया गया। वक्त मौका ड्रमों में से निर्धारित प्रकिया अपनाकर पैट्रोलियम पदार्थ के तीन नमूना सैम्पल एल्यूमिनियम की साफ बोतलों में लेकर चिट चस्पा की गई एवं एचपीसीएल की यूनिट कोड की सील लगाई गई तथा सैम्पल को जांच हेतु एफएसएल लैब में भेजा गया है। मौके पर अप्रार्थी श्री तेजराज के वाहन महिन्द्रा पिकअप RJ-21-GA-2344 में पाये गये 8 ड्रमों में भरे पेट्रोलियम पदार्थ का पाया जाना यह दर्शाता है कि अप्रार्थी संख्या 01 श्री तेजराज द्वारा औधोगिक उपयोग हेतु निर्धारित मिनरल ऑयल का उपयोग अनाधिकृत रूप से बिना सुरक्षा मानकों के वाहनों में उपयोग किया जा रहा है, जो सरकार को आर्थिक क्षति के साथ साथ मानवीय जीवन एवं पर्यावरण के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। नियम विरूद्व पेट्रोलियम/मिनरल ऑयल का भंडारण एवं वाहन ईधन के रूप में किया जाना पाये जाने के कारण मौके पर जांच दल द्वारा श्री तेजराज द्वारा अवैध रूप से वाहनों के ईधन के प्रयोजन से पाये गये 8 ड्रमों में भरे हुए 1640 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ एवं वाहन महिन्द्रा पिकअप संख्या RJ-21-GA-2344 को कब्जेराज लिया गया तथा पुलिस थाना पीसांगन को सुपुर्दगी पर दिये गए। अप्रार्थीगण द्वारा नियम विरूद्व पेट्रोलियम/मिनरल ऑयल का भंडारण एवं व्यवसाय किया जाना मौटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियम और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये वाहन महिन्द्रा पिकअप संख्या RJ-21-GA-2344 एवं 8 ड्रम में भरे हुए 1640 लीटर मिनरल ऑयल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावें।

जवाब में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने जवाब कथनों को दोहराते हुए मुख्यतः निवेदन किया गया कि जब्तशुदा पिकअप संख्या RJ-21-GA-2344 में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने घरेलू कार्य हेतु पिकअप व ट्रेक्टर के लिए केपीसी मिनरल ऑयल भरकर ले जाया जा रहा था। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कोई अवैध पैट्रोलियम का परिवहन नहीं किया जा रहा था। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 22.06.2022 को अपने पिकअप व ट्रेक्टर के लिये केपीसी मिनरल पैट्रोलियम जरिये अप्रार्थी संख्या 02 फर्म से बिल संख्या 192 के द्वारा 820 लीटर व बिल संख्या 193 के द्वारा 820 लीटर कुल मूल्य 48, 863/–रूपये भुगतान कर खरीद किया गया था। प्रकरण संख्या 37/2022 सरकार बनाम तेजराज प्रजापत में एक प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामें पर वाहन संख्या RJ-21-GA-2344 छुडवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का वाहन विभाग के पास जब्त रहने से खराब होने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगीनामें पर प्राप्त करना चाहता है इस सबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जो भी आदेश व शर्ते पारित की जायेगी उनकी पालना को प्रार्थी तत्पर तैयार है। लिहाजा

जिला कलक्टर
अजमेर

अप्रार्थी का जब्त वाहन एवं पेट्रोलियम पदार्थ रिलीज किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र पर जिला रसद अधिकारी अजमेर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमें प्रवर्तन अधिकारी (विधि) श्री लीरज जैन के द्वारा अवगत कराया गया कि अप्रार्थी एक के वाहन मं निमिरल ऑयल से भरे 8 ड्रम मौके पर बनामद किये गये थे । उक्त वाहन से मै0 राधे राधे केमिकल्स ग्राम सराधना से ग्राम कुडकी जिला पाली के लिए 1640 मिनिरल ऑयल परिवहन किया जारा रहा था जिसमें घटित अपराध में इस वाहन तथा वाहन मालिक की पूर्ण भूमिका है। उक्त पदार्थ का उपयोग केवल औधोगिक उदेश्य हेतु (इण्डस्ट्रीयल यूज ऑनली) लिखा था जबकि श्री तेजराज द्वारा इस पदार्थ का कय स्वयं के ट्रेक्टर में ईधन के रूप में उपयोग करने हेतु बताया गया । वाहन मालिक का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराधी की श्रेणी में आत है अतः पिकअप वाहन संख्या RJ-21-GA-2344 एवं जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ के व्यवसाय एवं परिवहन की सूचना पर जिला रसद अधिकारी अजमेर के नेतृत्व में गठित जांच दल द्वारा मौके पर पहूँच कर जांच/कार्यवाही की गई है। कार्यवाही में अप्रार्थीगण द्वारा बिना वैध दस्तावेज, लाईसेन्स, सक्षम अनुज्ञापन, अनुमति के 1640 लीटर मिनरल ऑयल (पेट्रोलियम पदार्थ) का अवैध उपयोग हेतु परिवहन किया जाना पाया गया है। अप्रार्थी0 का यह कृत्य एम.एस. एण्ड एच.एस.डी. आर्डर 2005 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन पाये जाने पर ही प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सख्या 01 से आठ ड्रमों में भरे हुए 1640 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ एवं वाहन पिकअप की जब्ती कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी0 एक द्वारा जवाब/बहस में ऐसे कोई आधारभूत कथन, ठोस दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत के नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। जबकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में, जब्तशुदा स्वयं की पिकअप संख्या RJ-21-GA-2344 में अपने घरेलू कार्य हेतु पिकअप व ट्रेक्टर के लिए केपीसी मिनरल ऑयल भरकर ले जाना स्वीकार किया गया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 02 फर्म द्वारा जारी प्रस्तुत बिल में INDUSTRY USE ONLY अंकित है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर मौजूद फर्द मौका एवं जब्ती, बयान अप्रार्थी संख्या 01, सेम्पलिंग फर्द, फर्द सुपुर्दगीनामा, एवं पुलिस थाना पीसांगन द्वारा दौराने गश्त की गई कार्यवाही/रसद विभाग की जांच कार्यवाही, आदि से भी केवल औद्योगिक उपयोग के मिनरल ऑयल (पैट्रोलियम पदाथ) की अप्रार्थी एक के द्वारा अवैध रूप से ईंधन के उपयोग हेतु परिवहन की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा कुल 8 ड्रम में भरे हुए 1640 लीटर मिनरल ऑयल सामग्री को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। **इस न्यायालय को कब्जे राज ली गई आवश्यक वस्तु (Essential Commidity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार प्राप्त है।** चूंकि वाहन पिकअप संख्या RJ-21-GA-2344 को 1640 लीटर मिनरल ऑयल सहित जप्त किया गया है। पिकअप वाहन RJ-21-GA-2344 का उपयोग उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी, अवैध उपयोग के परिवहन हेतु किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जबकि वाहन स्वामी अप्रार्थी संख्या 01 तेजराज ने इस वाहन को सुपुर्दगी नामें पर दिए जाने का निवेदन किया है। जब्त सुदा वाहन को राजसात करने के आदेश से पूर्व आवश्यक वस्तु अधिनियम में दिये गये प्रावधानो के मध्यनजर जब्त सुदा वाहन द्वारा परिवहन की जा रही सामग्री के बाजार मूल्य तक की समान राशि जमा कराने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। वाहन ड्राईवर तेजराज के द्वारा दौराने जांच दिये गये बयान एवं प्रस्तुत बिल मुताबिक 8 ड्रमों में भरे हुए 1640 लीटर मिनरल

जिला कलक्टर
अजमेर

ऑयल को 50.50/– रूपये प्रति लीटर खरीद किया जाना जाहिर है। पिकअप वाहन को 1640 लीटर मिनरल ऑयल के साथ जब्त किया गया है। रूपये 50.50/– प्रति लीटर से जब्त 1640 लीटर मिनरल ऑयल की किंमत 82,820/– होती है। इस प्रकार वाहन द्वारा परिवहन की जा रही सामग्री की कुल किंमत अनुसार उक्त पिक अप वाहन RJ-21-GA-2344 पर रूपये 82820/– अक्षरे बयासी हजार आठ सौ बीस रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। जब्तशुदा मिनरल ऑयल सामग्री का जिला रसद अधिकारी अजमेर सम्बन्धित आयल कम्पनी/रसद विभाग के निर्देशानुसार नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें ओर निस्तारण से प्राप्त राशि राज कोष में जमा करावें। आरोपित शास्ति राशि जमा कराने पर जब्त शुदा पिक अप वाहन RJ-21-GA-2344 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद दस्तावेज जांच के सम्बन्धित को सुपुर्द करें। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण मूल 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का अन्तिम निस्तारण उक्त आदेशानुसार किया जा चुका है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 37/2022 इसी कदर से फैसल शुमार होकर संलग्न पत्रावली हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर।